न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1562 | दिनांक 15/07/2022

प्रार्थीगण :-

1.मूलाराम पुत्र सुरजाराम
जाति जाट, निवासी आदर्श नगर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. जगमालराम 2.जेठाराम 3.ईसराराम पि.उदाराम 4.रामाराम 5.रतनलाल पि.रूपाराम 6.ताजाराम पुत्र सुरजाराम, जाति जाट, 7.सुगना 8.भोमा 9.ओमा पि. सरूपा, जाति ढाढी, निवासी आदर्श नगर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 25/2021 | दिनांक : **15.07.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नेतराड़ के मौजा आदर्शनगर के खेत खसरा सं. 215/8, 216/8, 217/21, 218/21 रकबा क्रमशः 27.14, 12.10, 34.00, 27.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1563 to 1566 | दिनांक 15/07/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी मूलाराम
3. विप्रार्थीगण जगमालराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:29:26 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन